न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 540–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–1–2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण कमांक 413/अपील/11–12.

———

नवल किशोर श्रीवास्तव आ. नर्मदा प्रसाद श्रीवास्तव
निवासी ग्राम करमोदिया
तहसील व जिला रायसेन .....आवेदक

विरूद्ध

हुकुमसिंह पुत्र परसराम सिंह
निवासी ग्राम करमोदिया
तहसील व जिला रायसेन .....अनावेदक

———

श्री जगदीश जैन, अभिभाषक, आवेदक

———

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 2/3/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–1–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार, रायसेन के समक्ष संहिता की धारा 250 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम करमोदिया स्थित भूमि सर्वे कमांक 9/3 रकबा 4.00 एकड़ उसके स्वामित्व की भूमि है, जिसका सीमांकन कराये जाने पर 3.00 भूमि पर आवेदक का अवैध कब्जा पाया गया है, अतः कब्जा दिलाया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 11/अ–70/2001–02 दर्ज कर दिनांक 27–1–2007 को आदेश पारित कर अनावेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया

गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, रायसेन के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 27–3–2009 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 27–1–2015 को आदेश पारित कर तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त कर तहसीलदार को निर्देशित किया गया कि सीमांकन में अनावेदक की भूमि पर अवैध कब्जा चाहे नवलकिशोर का हो अथवा उसके पिता नरोत्तम का, तत्काल हटाया जाकर अनावेदक को कब्जा दिलाया जाये । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा विधिवत साक्ष्य ली जाकर आदेश पारित किया गया था, जिसकी पुष्टि करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, परन्तु अपर आयुक्त द्वारा तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने में अवैधानिकता की गई है । यह भी कहा गया कि आवेदक का नाम प्रश्नाधीन भूमि पर अंकित होने के बावजूद भी कब्जा दिलाये जाने का आदेश पारित करने में अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदक को साक्ष्य प्रस्तुत करने के अनेक अवसर दिये गये थे, परन्तु उनके द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत कर प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का कब्जा होना प्रमाणित नहीं किया गया है । उपरोक्त स्थिति पर बिना विचार किये अपर आयुक्त द्वारा आदेश पारित करने में विधि की गंभीर भूल की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि सीमांकन प्रतिवेदन में प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का अवैध कब्जा होने का उल्लेख नहीं है, इसके बावजूद भी अपर आयुक्त द्वारा आवेदक से कब्जा दिलाये जाने के आदेश पारित करने में पूर्णतः अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । उनके द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष पूर्णतः वैधानिक एवं उचित है कि अनावेदक की भूमि पर अवैध कब्जा चाहे आवेदक का हो अथवा उसके पिता का हो, अवैध कब्जा हटाये जाने की कार्यवाही वैधानिक दृष्टि से की जाना चाहिये । ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा तहसीलदार को अवैध अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही करने के निर्देश देने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखते हुये प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर देते हुये प्रकरण में पुनः निर्णय लें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर